



2026:AHC:176500

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 15823/2026

अली वारिश तथा 5 अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: तवाब अहमद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: सैयद खुर्शीद अनवर अल्वी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, तथा प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद खुर्शीद अनवर अल्वी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन विशेष सत्र विचारण संख्या 142/2025 (राज्य बनाम अली वारिश तथा अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 83/2025 से उद्भूत, बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(2), 109(1), 191(2), 126, 308(2), 74, 3/5 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत (थाना-मिलक खानम, जिला-रामपुर), जो विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, जिला रामपुर के समक्ष लंबित है, की कार्यवाहियों को, तथा उक्त वाद में दायर आरोप-पत्र संख्या 66/2025 को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।
3. दिनांक 20.04.2026 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के सत्यापन हेतु प्रकरण को संबंधित अवर न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट किया था। विद्वान अवर न्यायालय ने अपनी दिनांक 14.07.2026 की आख्या द्वारा यह रिपोर्ट किया है कि पक्षकारों के मध्य मामले का समझौता हो गया है, जैसा कि दिनांक 02.08.2026 के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपूरक शपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 11 से स्पष्ट है, जो आज न्यायालय में दायर किया गया है तथा अभिलेख पर लिया जाता है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों के मध्य कुछ गलतफहमी तथा आशंकाओं के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। समय बीतने के साथ वे अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हुए हैं तथा उन्होंने अपने विवाद को लिखित रूप में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा कर लिया है, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है। उन्हें यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण की ओर से कोई आपराधिक आशय नहीं था तथा आवेदकगण द्वारा कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया है।

5. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की शुद्धता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता का विवाद नहीं कर सके। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उक्त वाद में कार्यवाहियां खारिज की जाती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह तर्क दिया गया है कि उक्त समझौते के दृष्टिगत, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को सर्वोच्च न्यायालय के **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य, 2003(4) एससीसी 675, तथा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303** के वाद के निर्णयों के आलोक में खारिज किया जाए।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपरोक्त)** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/सुलह के अंतर्गत विवाद समाप्त हो गया है, तो भा.द.सं. की धारा 320 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकारों के मध्य अभिलिखित परिनिर्धारण के दृष्टिगत, इस न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत भा.द.सं. की धारा 498-ए इत्यादि की कार्यवाहियों को खारिज करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह (उपरोक्त) के वाद में प्रस्तर-61 में यह अभिनिर्धारित किया है कि;

“दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के शमन हेतु दंड न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही या एफ.आई.आर. या परिवाद को खारिज करने में उच्च न्यायालय की शक्ति भिन्न तथा पृथक है। अंतर्निहित शक्ति विस्तृत व्यापकता की है जिसकी कोई सांविधिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग उस शक्ति में अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना है, अर्थात्; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन वादों में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक कार्यवाही या परिवाद या एफ.आई.आर. को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का परिनिर्धारण कर लिया है, यह प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा कोई कोटि विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। तथापि, ऐसी शक्ति के प्रयोग से पूर्व, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता पर सम्यक् ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य तथा गंभीर अपराध या हत्या, बलात्संग, डकैती इत्यादि जैसे अपराध, पीड़ित या पीड़ित के परिवार तथा अपराधी द्वारा विवाद का परिनिर्धारण कर लिए जाने पर भी, उपयुक्त रूप से खारिज नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं हैं तथा समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत अपराधों या लोक सेवकों द्वारा उस हैसियत में कार्य करते समय किए गए अपराधों इत्यादि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य कोई भी समझौता, ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाहियों के अभिखंडन का कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। किंतु जो आपराधिक वाद अत्यधिक और प्रमुखतः सिविल स्वरूप के हैं, वे अभिखंडन के प्रयोजनों के लिए भिन्न आधार पर खड़े हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक वादों से उद्भूत अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां क्षति मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के वादों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण है तथा आपराधिक वाद की निरंतरता अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डालेगी तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण परिनिर्धारण एवं समझौते के होते हुए भी आपराधिक वाद को खारिज न करने से उसके साथ नितांत अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही को निरंतर रखना अन्यायपूर्ण होगा या न्याय के हित के विरुद्ध होगा अथवा पीड़ित और अपचारी के मध्य समझौते एवं परिनिर्धारण के होते हुए भी आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगी तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु यह उपयुक्त है कि आपराधिक वाद को समाप्त कर दिया जाए, तथा यदि उपर्युक्त प्रश्न(नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की अपनी अधिकारिता के भीतर होगा।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के *नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 तथा परबतभाई आहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641* के वादों के निर्णयों पर भरोसा किया है तथा प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का परिनिर्धारण कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध उक्त वाद की पैरवी करना नहीं चाहता है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के अभियोजन को प्रत्याहृत करने हेतु तैयार है तथा समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो कोई फलदायी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
9. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि पक्षकार समझौते कर चुके हैं तथा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से परिनिर्धारण कर लिया है, जिसका अवर न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है, जिस आख्या की प्रति अभिलेख पर है। इस प्रकार, यह आगे प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2, जो कि यदि विचारण आगे बढ़ता तो मुख्य अभियोजन साक्षी होता, ने विचारण में प्रतिकूल हो जाने का असंदिग्ध आशय घोषित कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रकट होता है कि गुण-दोष एवं सत्यता को छोड़कर, यदि विचारण की कार्यवाहियों को जारी रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बहुमूल्य समय की बड़े पैमाने पर बर्बादी हो सकती है।
10. न्यायालय इस कठोर वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है कि वर्तमान वाद तथा अन्य समरूप वादों के तथ्य यह प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि एफ.आई.आर. में किए गए अभिकथन किसी अपराध के तत्त्व अंतर्विष्ट करते हैं, तथापि, ऐसा समझौता हो जाने के दृष्टिगत, दोषसिद्धि की संभावनाएं न केवल क्षीण हैं, बल्कि यदि ऐसे विचारणों को राज्य के व्यावहारिक रूप से समस्त आपराधिक न्यायालयों में संचित पड़े अन्य समस्त विचारणों के साथ जारी रहने की अनुमति दी जाती है, तो वर्तमान वाद जैसे वादों में विचारणों की निरंतरता केवल उन अन्य वादों के लिए भारी हानि का कारण बन सकती है जिनमें वादकारी न्याय हेतु गुहार लगा रहे हैं।
11. सामान्य परिस्थितियों में, न्यायालय ऐसी कुछ समझौता व्यवस्थाओं को स्वीकार करने में अनिच्छुक होगा। खेदपूर्वक, आपराधिक वादों की उच्च लंबितता तथा अन्यथा समाज में व्यापक प्रतीत होने वाली मिथ्या बोलने तथा असत्य कथन करने की उच्च प्रवृत्ति के दृष्टिगत, यहां तक कि वह मार्ग भी न्यायालय को स्वयं उचित प्रतीत नहीं होता है - जहां प्रतिशोध लेने की इच्छा कभी-कभी न्याय की शुद्ध खोज पर छाया डाल देती प्रतीत होती है; जहां विधिक लड़ाई जीतना अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उचित कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है; जहां अपने प्रतिपक्षी को सबक सिखाना ही अक्सर आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का एकमात्र प्रयोजन प्रतीत होता है।

12. इस प्रकार, समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों को देखते हुए, एक अधिक व्यावहारिक तथा कम तकनीकी दृष्टिकोण न्यायालय को उचित प्रतीत होता है - वर्तमान वाद जैसे कुछ आपराधिक अभियोजनों को छोड़ दिया जाए, अन्य वादों में अधिक प्रभावी, दक्ष तथा उचित विचारण के हित में, जहां वादकारी अपने अधिकारों के प्रति गंभीर तथा अपने दृष्टिकोण में अधिक सुसंगत प्रतीत होते हैं।

13. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए तथा इन सभी कारकों को संचयी रूप से विचार में लेते हुए, पक्षकारों के मध्य समझौते को स्वीकार किया जाए तथा आगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपरोक्त) तथा परबतभाई आहीर बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त)** के वाद में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा खारिज की जाती हैं।

14. वर्तमान आवेदन इस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है, तथापि इस शर्त के साथ कि पक्षकारों द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद के समक्ष लागत जमा की जाए। ऐसी लागत इस उद्देश्य से अधिरोपित की जानी है कि विशेष रूप से (इस वाद में) पक्षकारों तथा सामान्य रूप से समाज को यह ज्ञात हो सके कि न्यायालय अपने सदस्यों द्वारा किए गए अनुचित एवं भ्रष्ट व्यवहार के मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं। एक समाज जो अपने सदस्यों को अपने न्यायालयों के दुरुपयोग की अनुमति देगा, वह अंततः कष्ट भुगतनेगा तथा भारी कीमत चुकाएगा। सच्चे तथा जाली, दोनों प्रकार के वादकारी सदैव एक ही पंक्ति में खड़े रहेंगे। न्यायालयों के पास सच्चे तथा जाली वादकारी के मध्य पूर्व-पहचान तथा भेद करने की कोई प्रणाली नहीं है। यह किसी वाद में सुनवाई समाप्त होने के पश्चात ही ज्ञात होता है। सुनवाई में समय लगता है। वास्तव में, यदि न्यायालय एक जाली वादकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना भी चाहें, तो, प्रक्रिया एवं औचित्य के नियमों से आबद्ध होने के कारण, ऐसे वादों में दो सच्चे वादकारियों के मामले की तुलना में अधिक समय समर्पित करने की आवश्यकता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. ऐसी परिस्थितियों में, यद्यपि अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तथापि, इस स्तर पर, आवेदकगण के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की पूर्ण मिथ्यता के संबंध में कोई सुदृढ़ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है, तथापि इस शर्त के साथ कि आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद के समक्ष रु. 4,000/- (प्रत्येक पक्षकार पर 2,000) की वाद-व्यय जमा की जाए।

16. विधिक सेवा समिति उन वादकारियों के हित के लिए विद्यमान है तथा कार्य करती है जिनके लिए न्यायालयी प्रक्रियाओं का व्यय वहन करना कठिन है। यह स्वयं समाज को एक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य सेवा प्रदान करती है। अतः, समाज तथा उसके सदस्यों को उनके कृत्यों एवं कर्मों तथा उनके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों पर आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन करने की स्मृति तथा चेतावनी के रूप में, विधिक सेवा समिति को वाद-व्यय की राशि का भुगतान निदेशित करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

20 अगस्त, 2026

एस. अली